न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल जि. करौली
पीठासीन अधिकारी - सुरेश चंद गोयल R.A.S.

मु.नं.	किस्म मुकदमा	तारीख रुजू	फैसल दिनांक
10/16	दावा 188 RT Act	13-4-16	22-3-17

उनवान

दयाराम पुत्र मुंशी उम्र - 42 साल जाति - कोली निवासी - रानीपुरा तहसील - मण्डरायल जिला - करौली (राज.)

- वादी

बनाम

1. मांगी पुत्र नथुआलाल जाति - कोली उम्र - 55 साल निवासी - रानीपुरा तहसील - मण्डरायल जिला - करौली (राज.)
2. तहसीलदार मण्डरायल जरिये लैण्ड-होल्डर तहसील मण्डरायल

- प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक:- 22-3-17

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के एकमात्र खातेदारी व कब्जे-काश्त की भूमि ख.न. 1219/3 रकबा 06 बिस्वा, ख.न. 1220/3 रकबा 7 बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 13 बिस्वा ग्राम - मण्डरायल तह- मण्डरायल में मुख्य सड़क मार्ग से लगा हुआ है जिसकी चारों तरफ से पत्थर की पट्टियों की चार दीवारी हो रही है। उक्त आराजी पर वादी काबिज चला आ रहा है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति से उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी के पिता पैरालाईसिस बीमारी से करीब 20 दिन पूर्व ग्रसित हो गये थे वादी ने अपने पिता के ईलाज हेतु जयपुर भर्ती करा दिया था और वहीं रहकर अपने पिता के ईलाज व देखभाल कर रहा था। तभी प्रतिवादी नं.1 ने वादी की व्यक्तिगत परिस्थितियों का लाभ उठाते हुये दिनांक 1/2/16 को वादी की सड़क के सहारे लगी कुडियों को तोड़ते हुए अतिक्रमण करने के उद्देश्य से वादी की भूमि ख.नं.- 1219/3 रकबा 6 बिस्वा में मकानीयात का निर्माण प्रारम्भ

(signature)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करौली)

P.T.O.

कर दिया। दिनांक 4-3-16 को वादी अपने पिता को लेकर वापिस अपने गांव आया, तब सूचना मिलने पर वादी अपने खेत पर गया तो, मौके पर प्रतिवादी नं. 1 ने वादी की भूमि में नींव भरकर जमीन तल से करीब 5-6 फीट ऊंचाई की दीवार तैयार करा दी और मौके पर काम चालू। वादी ने जब प्रतिवादी नं. 1 से वादी की खातेदारी भूमि में निर्माण का कारण पूछा, तो प्रतिवादी नं. 1 नाराज हो गये और वह वादी से गाली-गलौच करने लगा तथा वादी की मारपीट पर उतारू हो गया। प्रतिवादी नं. 1 को वादी की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कराने का कोई हक नहीं है। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में निर्माण कराये जाने से वादी के हक प्रभावित हुए हैं। इसलिए वादी, प्रतिवादी के स्थायी निषेधाज्ञा से वादी की भूमि में निर्माण नहीं करने एवं वादी की खातेदारी भूमि में कराये गये निर्माण कार्य को हटाने को पाबन्द कराने का अधिकारी है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19-10-16 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। साक्ष्य वादी एक पक्षीय ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी दशरथ कोली PW1 के सशपथ बयान लेखबद्ध कराये हैं एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वंत 2067 से 2070 प्रदर्शित कराई हैं। साक्ष्य वादी बन्द की गयी।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजी ख०नं. 1210/3 व 1220/3 रकवा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बिस्वा ग्राम - म०डरायल वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है, जिसकी चारों तरफ से पट्टियों से तीकर हो रखी है। जिस पर वादी काबिज है। उक्त आराजी से प्रतिवादी नं. 1 का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादी नं. 1 ने वादी के पिता के बीमार हो जाने से वादी की अनुपस्थिति में दिनांक 12-2-16 को प्रतिवादी नं. 1 ने वादी की पट्टियों को तोडकर सडक के सहारे नींव खोदकर दिनांक 4-3-16 तक जमीन तल से 5-6 फीट ऊंची दीवार तैयार करा दी और मौके पर दिनांक 4-3-16 को वादी की भूमि में निर्माण करने का कारण पूछा तो प्रतिवादी नं. 1 नाराज हो गया और वादी की मारपीट करने पर उतारू हो गया। तब वादी की ने यह वादपत्र प्रस्तुत किया है।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी

वादी, प्रतिवादी नं.1 को वादी की भूमि में निर्माण नहीं करने तथा किये गये निर्माण को हटाने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञात्मक आदेश से पाबन्द कराने का हकदार है। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी प्रदर्श-1 प्रस्तुत की है व स्वंय का मौखिक बयान कराया है। अन्त: में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील वादी का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वंत 2067 से 2070 प्रदर्श-1 व शपथ पत्र साक्ष्य वादी का विवेचन किया गया जिससे विवादित भूमि खं.नं. 1219/3, व 1220/3 वादी के तन्हा खातेदारी की होना प्रकट है जिसका कोई खण्डन प्रतिवादी नं.1 द्वारा नहीं किया गया है। प्रतिवादी नं.2 को वादी द्वारा आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादी के खातेदारी भूमि में प्रतिवादी नं.1 को निर्माण करने का कोई हक उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी स्थिति में दावा वादी, विरुद्ध प्रतिवादी नं.1 डिक्री किये जाने योग्य है एवं प्रतिवादी नं.2 के विरुद्ध खारिज किये जाने योग्य है।

अत: दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी नं.1 डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी नं.2 के विरुद्ध दावा वादी खारिज किया जाता है। प्रतिवादी नं.1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी ख.नं. 1219/3 रकबा 6 बिस्वा ग्राम- मण्डरायल तह० मण्डरायल में कोई निर्माण कार्य नहीं करें ना किसी अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 28/3/17 को निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करौली)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डरायल

व इजलास सुरेश चन्द गोयल R.A.S.

दयाराम बनाम भंगी वगैरह [शेष पुष्ठ पर दर्ज]

दावा बाबत 188 RT Act

मुकदमा नं० 10 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कअई रूबरू सुरेश चन्द गोयल R.A.S.

व हाजिरी श्री रामसहाय पाराशर मिनजानिब मुद्दई रूबरू ×

मिनजानिबमुद्दायलह पेश होकर हुक्म किया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी नं.1 डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी नं.2 के विरु दावा वादी खारिज किया जाता है। प्रतिवादी नं.1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी ख.नं. 1219/3 रकबा 61 ग्राम- मण्डरायल तह० मण्डरायल मे कोई निर्माण कार्य नही करें ना कि अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

निज × मुबलिग × बाबत ×

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह × फीसदी सालाना आज व

तारीख से तारीख अदायगी तक × का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत की आज तारीख 22/3/2017 सन् 20

को जारी की गई।

दस्तखत (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी

मोहर ओहदा मण्डरायल (करौली)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दई	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बावतइजराय हुक्मनामा			बावतइजराय हुक्मनामा		

अनुपान

दयाराम पुत्र मंगी जाति - कोली निवासी - रानीपुरा तहसील मण्डरायल जिला - करौली (राज०)

— वादी

बनाम

1. मांगी पुत्र नाथुआलाल जाति - कोली निवासी - रानीपुरा तहसील - मण्डरायल जिला - करौली (राज०)
2. तहसीलदार मण्डरायल जरिये लैण्ड होल्डर तहसील मण्डरायल

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करौली)